जिला कार्यालय–रायपुर

60 (5)

प्रबंध संचालक महोदय,

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

मुख्यालय–रायपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि.
जिला कार्यालय, रायपुर
जावक क्र. 17 दिनांक 06.04.15

द्वारा:–जिला प्रबंधक,

छ0ग0स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

जिला कार्यालय–रायपुर

विषय:–आरोप पत्र का प्रतिउत्तर ।

Exb D-14

संदर्भ:–मुख्यालय का पत्र कमांक/वि.जांच/2015/1412 दिनांक 13.03.2015 ।

महोदय,

कृपया संदर्भित पत्र का आवलोकन करना चाहेंगे । पत्र के संबंध में प्रतिउत्तर चाहा गया है, जिसके संबंध में मेरा प्रतिउत्तर निम्नानुसार है:–

मैं गिरीश शर्मा, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, मुख्यालय–रायपुर में प्रबंध संचालक महोदय के निज सहायक (उप प्रबंधक) के पद पर वर्ष 2002 से कार्यरत हूँ । निज सहायक का कार्य प्रबंध संचालक महोदय द्वारा समय–समय पर सौंपे गये लिखित, मौखिक एवं व्यक्तिगत कार्यों का ससमय संपादन करना रहता है, जो अन्य निज सहायकों द्वारा भी किया जाता है । इसी कम में निम्नलिखित कार्य भी मेरे द्वारा प्रबंध संचालक महोदय एवं प्रमुख सचिव महोदय के दूरभाष पर दिये गये मौखिक निर्देशानुसार किया जा रहा था :–

दिनांक 10.02.2015 को श्री आलोक शुक्ला, तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मुझे दिनांक 11.02.2015 को प्रातः घर पर बुलाया ।

मूलप्रति: ...

जिला प्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि
रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 11.02.2015 को मैं श्री आलोक शुक्ला, तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार प्रातः उनके निवास पर गया । निवास पर श्री शुक्ला जी द्वारा बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ मुझे 10.00 लाख रू0 की आवश्यकता है । तब मैंने श्री शुक्ला जी को तत्कालीन प्रबंध

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

09/04

9.4.15

प्रबंधक (प्रशासन)

Scanned with CamScanner

संचालक महोदय श्री अनिल टुटेजा जी से बात करके राशि की व्यवस्था करने के बारे में बताया ।

3 दिनांक 11.02.2015 को ही मेरे द्वारा तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय श्री अनिल टुटेजा जी को श्री आलोक शुक्ला जी, तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य के निर्देशानुसार 10.00 लाख रूपये मंगाने की बात कही । तब तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय श्री अनिल टुटेजा जी ने कहा कि मैं श्री एस0एस0 भट्ट से श्री आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव, खाद्य को दिये जाने वाले पैसे आपको देने के लिए कह दूँगा ।

04 दिनांक 11.02.2015 को दोपहर के समय श्री एस0एस0भट्ट, प्रबंधक द्वारा मुझसे अपने कक्ष मे आकर कहा कि कल प्रातः श्री अरविन्द, स्टेनोटायपस्टि आपको 20.00 लाख रूपये लाकर देगा, जिसमें से 10.00 लाख रूपये श्री आलोक शुक्ला जी एवं 10.00 लाख रू0 श्री अनिल टुटेजा जी को पहुँचा देना ।

05 दिनांक 12.02.2015 को प्रातः लगभग 11.30 बजे श्री अरविन्द ध्रुव, स्टेनोटायपिस्ट द्वारा मुझे 20.00 लाख रूपये श्री भटट से लाकर दिये गये । 20.00 लाख रूपये प्राप्त होने के पश्चात मेरे द्वारा तत्कालीन प्रबंधक संचालक महोदय श्री अनिल टुटेजा जी को पैसे प्राप्त होने की जानकारी दी गई । तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय द्वारा मैं 10 मिनिट में आफिस पहुँच रहा हूँ फिर जाना दूरभाष पर ही निर्देश दिए गए ।

06 दिनांक 12.02.2015 को मैं प्रबंध संचालक महोदय से दूरभाष पर प्राप्त निर्देश के बाद उनके आने का इंतजार कर रहा था । उसी समय एसीबी की टीम द्वारा छापा मारा गया और राशि रू0 20.00 लाख जब्त की गई।

07 एसीबी द्वारा राशि रू0 20.00 लाख जब्त की गई राशि मुझे तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार श्री आलोक शुक्ला, तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य एवं श्री अनिल टुटेजा, तत्कालीन प्रबंध संचालक की राशि, देने हेतु श्री एस0एस0भट्ट द्वारा श्री अरविन्द ध्रुव, स्टेनोटायस्टि के माध्यम से मेरे पास आई थी।

08 यह राशि रू0 20.00 लाख मेरी व्यक्तिगत राशि नहीं थी । यह राशि श्री एस0एस0भटट,प्रबंधक द्वारा मेरे पास भेजी गई थी । अतः राशि रू0 20.00 लाख शासकीय है अथवा नहीं इसकी जानकारी श्री भटट से प्राप्त की जा सकती है । मुझे केवल इस राशि को दिये गये मौखिक निर्देशानुसार तत्कालीन प्रमुख सचिव, खाद्य को रू0 10.00 लाख एवं तत्कालीन प्रबंध संचालक महोदय को रू0 10.00 लाख को पहुँचाना था ।

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

(58) (7)

एसीबी द्वारा मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है या नहीं इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है । कृपया इस संबंध में विस्तृत जानकारी एसीबी कार्यालय से प्राप्त करने की कृपा करेंगे ।

तत्कालीन प्रबंध संचालक एवं तत्कालीन प्रमख सचिव महोदय के मौखिक निर्देशानुसार उक्त राशि रू0 20.00 लाख को पहुँचाये जाने का कार्य केवल मेरे द्वारा किया जा रहा था ।

यहॉ मैं यह उल्लेख भी करना चाहता हूँ कि एसीबी टीम के द्वारा दिनांक 12.02.2015 को ही मेरे निवास पर भी छापा मारा गया, जिसमें एसीबी की टीम को मेरे निवास से किसी भी प्रकार की अनुपातहीन संपत्ति/राशि जप्त नहीं की गई, जो कि मेरे ईमानदारी का स्वतः प्रमाण है ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे उपर लगाये आरोप से मुक्त करते हुए हुए उप प्रबंधक के पद पर बहाल करने की कृपा करेंगे ।

06/04/2015

(गिरीश शर्मा)

उप प्रबंधक(निलं.)

जिला कार्यालय–रायपुर

सूचना के अधिकारी के तहत प्रदत्त

प्रबंधक (प्रशासन)

Scanned with CamScanner